यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, रुड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, रुड़की के माह 08/2012 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 27.07.2018 से 31.07.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी रुड़की द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुश्रवण किया जाता है। एवं उनके आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व भी है। उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन एवं विद्यालयों में छात्रों की शिक्षण व्यवस्था का सुचारु रूप से करवाने के दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र विकासखण्ड रुड़की है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	DDO अधिकार जि.शि.अ. प्रा.शि. हरिद्वार को थी।							
2013-14	-	-	1555.21	1779.60	-	-	-	-
2014-15	-	-	2053.79	1980.45	-	-	-	-
2015-16	-	-	2217.01	2152.20	-	-	-	-
2016-17	-	-	2424.34	2363.54	-	-	-	-
2017-18	-	-	2653.88	3163.43	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत(-)
2012-13	शून्य					
2013-14						
2014-15						
2015-16						
2016-17						
2017-18						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई स श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
4. मंडलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी /उप शिक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी रुड़की को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी रुड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017, 05/2018 एवं 05/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो "ब"

प्रस्तर:01- बिना रोक़ड़ बही के रखरखाव के ₹ 10904.23 लाख की धनराशि का व्यय

प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र GAR III मे रोक़ड़ बही का रखरखाव किया जाना आवश्यक है। जिसमे समस्त वितीय लेन-देनों को उनके होने के तत्काल बाद रोक़ड़ बही मे दर्ज किया जाना चाहिए ।

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी रुड़की के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि इकाई के पास माह अगस्त 2012 से जून 2018 (लेखापरीक्षा तिथि) तक की रोक़ड़ बही उपलब्ध नहीं है। जबकि इस अवधि मे कार्यालय द्वारा ₹ 10904.23 लाख धनराशि व्यय की गई। जिसका सत्यापन नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा मे इगित किये जाने पर उप शिक्षा अधिकारी ने उत्तर मे कहा कि पूर्व मे स्थानान्तरित प्रधान सहायक द्वारा दूरभाष पर वार्ता फलस्वरूप विदित हुआ है कि रोकड़ बही बन रखी है। एवं अभिलेखों का समुचित रखरखाव होने पर निकट भविष्य मे रोकड़ बही आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर दी जाएगी।

इकाई का उत्तर स्वत: ही इस आपत्ति की पुष्टि करता है कि उप शिक्षा अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारी के दायित्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। अन्यथा रोकड़ बही जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख,जो कि प्रत्येक लेनदेन के बाद हस्ताक्षरित की जाती है। उसके बारे मे ऐसी अनभिज्ञता व्यक्त नहीं की जा सकती है। वस्तुत: उत्तर से स्पष्ट है कि कार्यालय मे रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……..……..Ni…………………

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी रुड़की तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   माह अगस्त 2012 से लेखापरीक्षा तिथि (जून 2018) तक की रोकड़ बही।
2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम. स.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री ओम प्रकाश कोहली	उप शि॰ अ॰	
2.	श्री बृजपाल सिंह राठौर	उप शि॰ अ॰	
3.	रीना राठौर	उप शि॰ अ॰	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी रुड़की को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.